95

न्यायालय ~~श्रीमान, सदस्य~~ महोदय, म०प्र० राजस्व मंडल ग्वालियरम०प्र०

कमिश्नर कार्यालय
23 DEC 2008

श्रीमती, शान्तीदेवी पत्नी सुरेन्द्रप्रसाद मिश्र उम्री 75वर्ष पेशा कृषि व धरूकार्य ग्राम रामपुर बघेलान तह०- रामपुर जिला सतनाम०प्र०--अपी०

वनाम

§ 1§ म०प्र० राज्य द्वारा उप पंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय रामपुर बघेलान जिला सतनाम०प्र०।

§ 2§ जिला पंजीयक महोदय जिला पंजीयन कार्यालय सतना --- रेस्पा०

7. 06-IV/09

अपील विरुद्द आदेश श्री अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 9/9/08 वावत प्रकरणक्र० 1147/अपील/07-08

अन्तर्गत धारा 47§ क§ इंडियन स्टाम्प एक्ट एवं नि० 9 भारतीय स्टाम्प म०प्र० लिखितम का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम।

Presented by Shri, एस. पी. मिश्रा
Advocate/Appellant
23/12/2008

Reader

Supdt. 23/12/08
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M.P.)

क्रमांक 3393 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-12-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है:--

1§ क§ अपीलार्थी का पूरा नाम, पिता,पतिका नाम,व्यवसाय तथा पता:-श्रीमती, शान्तीदेवी पत्नी श्री, सुरेन्द्रप्रसाद मिश्र पेशा कृषि व धरूकार्य सा०, तह० रामपुर जिला सतनाम०प्र०।

2§ ख§ ~~लिखत~~ विक्रय पत्र/लिखत का निष्पादन करने वाले व्यक्ति कानाम,व्यवसाय तथा पता :- सूर्यप्रसाद तनयश्री शिवभानप्रसाद पेशा कृषि सा० रामपुर बघेलान जिलासतना म०प्र०।

§ ग§ ~~लिखत~~ विक्रय पत्र/लिखत के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम पिता कानाम व्यवसाय व पता:- श्रीमती, शान्तीदेवी पत्नी सुरेन्द्रप्रसाद सा० रामपुर जिलासतनाम०प्र०।

§ घ§ ~~लिखत~~ विक्रय पत्र/लिखत की तारीख एवं प्रकार:-- ता09/6/04 विक्रयपत्र।

§ ङ§ रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तारीख व पंजीयन कार्यालय कानाम:-- ता09/6/04 उप- पंजीयक कार्यालय रामपुरबघेलान जिला सतनाम०प्र०।

शान्तीदेवि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 06–चार/2009 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-09-16	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो अपील मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 1147/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09.09.08 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(आगे जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 क(9) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा अपीलार्थी अधिवकता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेज में वर्णित संपत्ति रामपुर इटमा गिट्टी मार्ग वार्ड क्र–11 पर स्थित है तथा आबादी से दो फलांग की दूरी पर है । गाइड लाइन वर्ष 04–05 के अनुसार 0.050 आरे तक आवासीय रोड निर्धारित दर का 60 प्रतिशत एवं शेष रकबे के लिये निधार्रित कृषि भूमि मूल्य का दो गुना मानकर संपत्ति का बाजार	

मूल्य निर्धारित किया गया है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने गाइड लाइन वर्ष 04–05 के अनुसार संगणना की है जो पूर्णतः विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.08 स्थिर रखा जाता है । फलतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य